AFR

Neutral Citation No. - 2024:AHC-LKO:23023

Court No. - 27

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 2173 of 2024

Applicant :- Ajay Singh @ Golu
Opposite Party :- State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Deptt. Of Home Lko. And Another
Counsel for Applicant :- Annapurna Agnihotri
Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Subhash Vidyarthi,J.

1. प्रार्थी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री अन्नपूर्णा अग्निहोत्री तथा विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता श्री राकेश कुमार सिंह को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

2. धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र द्वारा प्रार्थी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0164 सन 2022 अन्तर्गत धारा 147, 406, 420, 504, 506 भा०दं०सं० थाना बिजनौर, जनपद लखनऊ मध्य के अनुक्रम में प्रस्तुत आरोप पत्र दिनांकित 20.11.2022 तथा उसके आधार पर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 10.02.2023 जिसके द्वारा उपरोक्त अपराध का संज्ञान लिया तथा प्रार्थी को विचारण हेतु तलब किया एवं आदेश दिनांक 16.01.2024, जिसके द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया, की वैधता को चुनौती दी।

3. उपरोक्त आदेश की वैधता को चुनौती इस आधार पर दी गयी है कि प्रार्थी के विरुद्ध लगाये गये आरोप असत्य हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम आर्यन सिंह आदि, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 379** में अवधारित है कि धारा 482 दं०प्र०सं० के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए न्यायालय को लघु विचारण (मिनी ट्रायल) करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें अभियोजन / जांच एजेंसी को

आरोपों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। दं०प्र०सं० की धारा 482 के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करते समय न्यायालय के पास बहुत सीमित अधिकार क्षेत्र है और मात्र यह विचार करने की आवश्यकता है कि "क्या आरोपी के विरुद्ध आगे बढ़ने के लिए कोई पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, जिसके लिए आरोपी पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता है या नहीं"।

4. अतः धारा 482 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस स्तर पर प्रार्थी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही इस आधार पर निरस्त नहीं की जा सकती कि उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप असत्य हैं, क्योंकि इस स्तर पर यह न्यायालय आरोपों की सत्यता की जाँच नहीं कर सकता है।

5. प्रार्थी ने आदेश दिनांक 16.01.2024 की वैधता को भी चुनौती दी है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने समन जारी किए जाने के उपरांत भी प्रार्थी के उपस्थित न होने के कारण प्रार्थी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश पारित किया।

6. प्रार्थी की विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **इंद्र मोहन गोस्वामी तथा एक अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य तथा अन्य** (2007) 12 **SCC** पृष्ठ 01 तथा **विकास बनाम राजस्थान राज्य** (2014) 3 **SCC** पृष्ठ 321 के निर्णयों का आश्रय लिया।

7. विचारण न्यायालय के आदेश पत्र की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जिससे यह परिलक्षित होता है कि दिनांक 10/2/23 को विचारण न्यायालय ने आरोप का प्रसंज्ञान लिया एवं अभियुक्तगण को विचारण हेतु समन जारी किया। दिनांक 10/04/2023 को पारित आदेश में विचारण न्यायालय ने अंकित किया कि 'अभि.गण गैर हा. हैं। वाद दि. 03/05/2023 को वास्ते ह.पेश हो। पूर्व आदेश का पालन हो।

8. दिनाक 3/5/23 को विचारण न्यायालय ने मात्र दो –चार शब्दों का एक आदेश पारित किया, जिसको पढ़ना और समझना संभव नहीं है।

9. दिनांक 9/8/23 में पारित आदेश में विचारण न्यायालय ने अंकित किया कि 'पुकारा गया अभियुक्त सचिन उपस्थित। दिनांक 5/10/23 को वास्ते हा. पेश हो।

10. दिनांक 5/10/23 को पारित आदेश में विचारण न्यायालय ने अंकित किया Case called out. Accused Sunil, Sachin and Rohit exempted. Put up on 16/11/23 for app.

11. दिनांक 16/11/23 का आदेश इस प्रकार है 'Case Called out accused. Sunil, Sachin & Rohit exempted. Rest accused Ajai absent. Put up on 16/1/24 for App. Repeat Process.

12. बिना यह संतोष अंकित किए हुए कि प्रार्थी अजय सिंह उर्फ गोलू की उपस्थिति हेतु न्यायालय से कोई समन भेजा गया है या नहीं अथवा यदि समन भेजा, तो वह प्रार्थी को प्राप्त हुआ है या नहीं तथा बिना यह संतुष्टि अंकित किए हुए कि समन प्राप्त होने के उपरांत भी प्रार्थी विचारण हेतु उपस्थित नहीं हो रहा है , न्यायालय ने दिनांक 16/1/24 को आदेश पारित किया कि 'पुकारा गया अभि .रोहित उपस्थित, अभि.सचिन व सुनील की हा.मा. प्रस्तुत पत्रावली दि. 28/2/24 को पेश हो। अभि.अजय सिंह यादव उर्फ गोलू जरिए NBW तलब हो।

13. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय छः में अभियुक्त की हाजिरी के लिए आदेशिकाएं जारी करने के प्राविधान है।

14. धारा 62 दं०प्र०सं० समन की तामील करने का तरीका निम्नवत प्राविधानित करता हैः–

"समन की तामील कैसे की जाए - (1) प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, उस न्यायालय के, जिसने वह समन जारी किया है, किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी।

(2) यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन की दो प्रतियों में से एक का परिदान या निविदान करके वैयक्तिक रूप से की जाएगी।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर समन की ऐसे तामील की गई है , यदि तामील करने वाले अधिकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो , दूसरी प्रति के पृष्ठ के भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा।"

15. धारा 64 दं०प्र०सं० में समन किए गए व्यक्ति के न मिलने पर समन तामील का तरीका निम्नवत दिया गया हैः–

"जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सकें तब तामील- जहाँ समन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी न मिल सके वहाँ समन की तामील दो प्रतियों में से एक को उसके कुटुम्ब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो, जिस व्यक्ति के पास समन ऐसे छोड़ा जाता है वह दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा।

स्पष्टीकरण – सेवक, इस धारा के अर्थ में कुटुम्ब का सदस्य नहीं है।"

16. उपरोक्त प्रावधान में समन तामील न हो पाने पर धारा 65 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत समन तामील की प्रक्रिया निम्न प्रकार दी गई हैः–

"जब पूर्व उपबन्धित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया. – यदि धारा 62, धारा 63 या धारा 64 में उपबन्धित रूप से तामील सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी समन की दो प्रतियों में से एक को उस गृह या वासस्थान के , जिसमें समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है , किसी सहजदृश्य भाग में लगाएगा; और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे या तो यह घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक् तामील हो गई है या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे।"

17. धारा 87 दं०प्र०सं० प्राविधानित करती है कि न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में, जिसमें वह किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए समन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया है , अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है:–

(क) यदि या तो ऐसा समन जारी किए जाने के पूर्व या पश्चात किन्तु उसकी हाजिरी के लिए नियत समय के पूर्व न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण दिखाई पड़ता है कि वह फरार हो गया है या समन का पालन न करेगा;अथवा

(ख) यदि व ऐसे समय पर हाजिर होने में असफलत रहता है और यह साबित कर दिया जाता है कि उस पर समन की तामील सम्यक् रूप से ऐसे समय में कर दी गई थी कि उसके तदनुसार हाजिर होने के लिए अवसर था और ऐसी असफलता के लिए कोई उचित प्रतिहेतु नहीं दिया जाता है।

18. प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय ने ऐसे विश्वास करने का कोई कारण नहीं दर्शाया है कि प्रार्थी पर समन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई थी और इसके उपरांत भी वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

19. **इंद्र मोहन गोस्वामी** के उपरोक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि न्यायालय को निजी स्वतंत्रता के अधिकार और समाज के हितों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए। वारंट जारी करने के संबंध में कोई नियम निर्धारित नहीं किए जा सकता हैं, किन्तु सामान्यतः जब तक अभियुक्त किसी जघन्य अपराध का दोषी न हो तथा ऐसी आशंका न हो कि वह साक्ष्य को नष्ट कर सकता है या विधिक प्रक्रिया से भाग सकता है, गैर जमानती वारंट जारी नहीं किए जाने चाहिए।

20. **विकास बनाम राजस्थान राज्य** के उपरोक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बिना समन की तामीली सुनिश्चित किए , तथा बिना जमानती वारंट जारी किए किसी अभियुक्त के विरुद्ध गैर

जमानती वारंट जारी कर देना उसके निजी स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार को बाधित करता है।

21. उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत बिना प्रार्थी पर समन की तामीली के बारे में कोई संतोष अंकित किए बिना और प्रार्थी के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किए बिना गैर जमानती वारंट जारी कर देना न्यायालय के अधिकारों का दुरुपयोग प्रतीत होता है और ऐसा आदेश विधि में संधार्य नहीं है।

22. तदनुसार, आलोच्य आदेश दिनांक 16.01.2024, जिसके द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया , **अपास्त** किया जाता है।

23. प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह न्यायालय विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय, लखनऊ के समक्ष नियत तिथि को उपस्थित होकर धारा 88 दं०प्र०स० के अन्तर्गत निजी बंधपत्र तथा दो प्रतिभू निष्पादित करे , तदुपरांत विचारण मे अपना पक्ष रखते हुए सहयोग करे।

24. आदेश समाप्त करने के पूर्व यह अंकित करना अनिवार्य प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान पारित आदेशों से पक्षकारों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। आदेशों को आदेश पत्र पर अंकित करना इसलिए भी अनिवार्य है कि विचारण की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने पर कोई न्यायालय विचारण न्यायालय की कार्यवाही की वैधता की समीक्षा कर सके। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पत्र पर आदेश इस प्रकार अंकित करें कि उसको पढ़ा ही नहीं जा सके अथवा अपने आदेशों में पूरे शब्दों की जगह संक्षेपाक्षर का प्रयोग करना उचित नहीं है , क्योंकि इससे पक्षकारों तथा उच्च न्यायालय दोनों को ही आदेश को समझने में कठिनाई होती है।

25. पूर्व में भी विचारण न्यायालयों को अपने आदेश स्पष्टतया अंकित करने के निर्देश जारी किए गए हैं , किंतु प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के आदेश पत्र की प्रमाणित छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय अभी भी आदेश अंकित करने में उक्त निर्देशों का

ध्यान नहीं रखते हैं।

26. अतः यह निर्देश दिया जाता है कि समस्त विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय, पत्रावली के आदेश पत्र में अपने आदेश स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे और उसमें संक्षेपाक्षर का प्रयोग करने से बचेंगे। यदि लंबे आदेश में कोई बड़ा शब्द अथवा शब्दों का समूह बार–बार प्रयोग हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में एक बार पूरा शब्द अथवा शब्दों का समूह प्रयोग करके और उसके साथ उसका संक्षेपाक्षर लिखकर आदेश/निर्णय में अन्य स्थानों पर बार–बार पूरा शब्द अथवा वाक्यांश के स्थान पर संक्षेपाक्षर का प्रयोग किया जा सकता है।

27. यह आदेश जनपद स्तर के समस्त न्यायालयों के संज्ञान में लाने के लिए उचित कार्यवाही की जाए।

(Subhash Vidyarthi,J.)

Order Date :- 15.3.2024
Himanshu

Digitally signed by :-
HIMANSHU SHUKLA
High Court of Judicature at Allahabad,
Lucknow Bench